भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**



LGD Notification

Change Coverage of Localbody

Published By

Name	Veerendra Kumar Tripathi	Name	Veerendra Kumar Tripathi
Designation	DY Director	Designation	DY Director
Mobile no.	9425921500	Mobile no.	9425921500
IP Address	103.160.49.41	IP Address	103.160.49.41
On date	13/05/2024	On date	09/05/2024

State Name

Localbody Code

Localbody Name

Localbody Type Name

Localbody Effective Date

OLD LANDREGION COVERAGE LIST

Landregion	Landregion	Landregion	Coverage
Code	Name	Type	Type
424	Rewa	District	

NEW CONTRIBUTED LOCALBODY LIST

Localbody Code

Localbody Name

Coverage Type

Proposed By

Madhya Pradesh
383
Rewa
District Panchayat
13/08/2023

NEW LANDREGION COVERAGE LIST

Landregion Code	Landregion Name	Landregion Type	Coverage Type
424	Rewa	District	PART
766	MAUGANJ	District	FULL

EST-260776/2023 106.10.2023

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



क्रमॉक 309] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023-आरिवन 13, शक 1945

राजस्व विभाग मंत्रालय, चल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

फ्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात. - मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन को वारीख से नवीन जिला मैहर (मुख्यालय मैहर) का गठन करती है जिसमें चर्तमान तहसील मैहर के समस्त 122 पटवारी हल्के, तहसील अमरपाटन के समस्त 53 पटवारी हल्के एवं तहसील रामनगर के समस्त 59 पटवारी हल्के; इस प्रकार कुल 234 पटवारी हल्के, तहसील अमरपाटन के समस्त 53 पटवारी हल्के एवं तहसील रामनगर के समस्त 59 पटवारी हल्के; इस प्रकार कुल 234 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे. प्रस्तावित जिला मैहर के गठन परचात् शेष सतना जिले में तहसील राष्ट्रराजनगर के समस्त 71 प. ह., तहसील कोठी के समस्त 33 प. ह., तहसील मझगवों के समस्त 55 प. ह., तहसील नागौद के समस्त 94 प. ह., तहसील उचेइरा के समस्त 71 प. ह., तहसील रामपुर बायेलान के समस्त 97 प. ह., तहसील बिरसिंहपुर के समस्त 48 प. ह. एवं तहसील कोटा के समस्त 27 प. ह., इस प्रकार कुल 496 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

> मध्यप्रदेश के एत्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रराखा चालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

प्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग को अधिसूचना क्र. एफ. Rev.-6-0030-2023-Sec-7-सात, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मुख्यप्रदृश्च रोजापद्य (असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]

भौपाल, गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023—आश्विन 13, शक 1945

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधार (2) द्वारा प्रदत्त शकियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से नवीन जिला पांढुणां (मुख्यालय पांढुणां) का गठन करती है जिसमें पांढुणां तहसील के समस्त 74 हल्के वथा सौंसर तहसील के समस्त 63 हल्के इस प्रकार कुल 137 हल्के समाविष्ट होंगे. पांढुणां जिले के गठन उपरांत छिंदवाड़ा जिले में शेष 12 तहसीलें क्रमश: अमरवाड़ा, उमरेठ, चांद, चौरई, छिंदवाड़ा, छिंदवाडानगर, जुन्नारदेव, तामिया, परासिया, बिछुआ, मोहखेड, हर्रई के समस्त हल्के / कुल हल्के 686 शेष रहेंगे.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अवटूबर 2023

क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग को अधिसूचना क्र. F. Rev.-6-0029-2023-Sec-7-सात, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से ११ ७१७१ लाज प्रभवा आ राक्स्ता ह:



क्रमांक 251]

भोपाल, रविवार, दिमांक 13 अगस्त 2023-श्रावण 22, शक 1945

राजस्व विमाग मंत्रालय, वल्लम भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क. F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7- मध्यप्रदेश मू-राजस्य संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की घारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रीवा जिले की 03 तहसीलें मऊगंज, हनुमना एवं नईगड़ी को समाविष्ट कर नवीन जिला मऊगंज का गठन करती है जिसका मुख्यालय मऊगंज होगा। जिला मऊगंज के गठन उपरांत शेष रीवा जिले में 09 तहसीलें हुजूर, हुजूरनगर, जवा, त्याँथर, रायपुर कर्चुलियान, गुढ़, सिरमौर, सेमरिया तथा मनगवा शेष रहेंगी.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. **धन्द्रशेखर वालिम्बे**, अपर संचिव

भौपाल, दिनांक 13 अगस्त 2023

क. F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक F-Rev-6-0006-2023-सात-शा-7, दिनांक 13 अगस्त, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

SOL

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.